



राजस्थान सरकार
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर

क्रमांक एफ-21 / एनआरएचएम / वीएचसी / 2008 / 1378 दिनांक 30/01/19

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कार्यक्रम प्रबन्धक
समस्त जिले

विषय:- वीलेज हैल्थ प्लान के क्रियान्वयन के क्रम में।
संदर्भ-पत्र क्रमांक एफ-21 / एनआरएचएम / वीएचसी / 3646 दिनांक 18.11.08

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक गाँव के लिए वीलेज हैल्थ प्लान तैयार किया गया है। इस वीलेज हैल्थ प्लान को वर्ष 2009-10 में क्रियान्वित किया जाना है। इस हेतु अप्रैल 09 में आयोजित होनी वाली मासिक बैठक में ए.एन.एम. तथा आशा सहयोगिनी के माध्यम से वीलेज हैल्थ प्लान पर विस्तृत चर्चा आयोजित की जाए। चर्चा के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे:-

1. सभी सदस्यों को वीलेज हैल्थ प्लान के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान करना।
2. प्लान में वर्णित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ग्राम स्तर पर कौन-कौन सी गतिविधियाँ की जानी है, उस पर चर्चा करना।
3. चर्चा के अनुसार गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध करना। गतिविधियों के संचालन की जिम्मेदारी, आवश्यक संसाधन, समयावधि आदि को सुनिश्चित करना।
4. गतिविधियों के नियोजन के लिए प्रत्येक गाँव को वीलेज हैल्थ प्लान में संलग्नक प्रपत्र-एक के अनुसार अतिरिक्त जानकारी सम्मिलित की जाए।
5. वीलेज हैल्थ प्लान में दर्शाये गये लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नियोजित की गई गतिविधियाँ तथा उस पर खर्च होने वाली राशि के लिए समिति द्वारा अनुमोदन मासिक बैठक में करवाया जाए।
6. गतिविधियों को संचालित करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य समिति हेतु आवंटित अनटाईड राशि का उपयोग किया जा सकता है।

7. ग्राम स्वास्थ्य समिति की आगामी प्रत्येक मासिक बैठक में वीलेज हैल्थ प्लान के क्रियान्वयन की समीक्षा सदस्यों के द्वारा की जाए।
8. प्रत्येक गाँव के लिए संभावित लक्ष्य संलग्नक-दो में दिये गये हैं।

ग्राम स्वास्थ्य समिति के सभी सदस्यों को एक समूह के रूप में कार्य करते हुए लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अप्रसर होना है। ए.एन.एम. तथा संयोजक के रूप में आशा सहयोगिनी को इस समिति को क्रियाशील बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक सी.एम.एच.ओ. तथा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक, प्रत्येक गाँव के विलेज हैल्थ प्लान को क्रियान्वित करने हेतु जिम्मेदार होंगे। इस हेतु ब्लॉक सी.एम.एच.ओ. तथा ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धक प्रत्येक माह में ग्राम स्वास्थ्य समिति की कम से कम 10 बैठकों में उपस्थित रहकर समिति के सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करें।


(वी. श्रीनिवास)

शासन सचिव प.क.एवं मिशन निदेशक-एनआरएचएम

प्रतिलिपि- 1378
30/3/21

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक-आरसीएच
3. निदेशक-पी.एच.
4. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा को भेजकर लेख है कि अपने संभाग में उपरोक्त दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।
5. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
6. कन्सल्टेन्ट आशा- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
7. कन्सल्टेन्ट प्लान- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
8. डिवीजनल एमसीएच कोर्डिनेटर- अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर।
9. आई.टी.सलाहकार, सेन्ट्रल सर्वर रूम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को भेजकर लेख है कि, यह दिशानिर्देश ई मेल द्वारा संबंधितों को भेजे जाए तथा एनआरएचएम वेब- साइट पर जोड़े जाये।



शासन सचिव प.क.एवं मिशन निदेशक-एनआरएचएम

ग्राम स्वास्थ्य नियोजन (वीलेज हैल्थ प्लान)

अप्रैल 2009-मार्च 2010

| क्रमांक | स्वास्थ्य के घटक | गत वर्ष की स्थिति | लक्ष्य 2009-2010 | लक्ष्य प्राप्ति के लिए की जाने वाली गतिविधियाँ | गतिविधि के लिए आवश्यक संसाधन | समयावधि तथा जिम्मेदारी |
|---------|--|-------------------|------------------|--|------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच | | | | | |
| 2 | कुल प्रसव घरेलू - संस्थागत प्रसव - प्रसव पश्चात जांच | | | | | |
| 3 | पूर्ण टिकाकरण | | | | | |
| 4 | नसबंदी | | | | | |
| 6 | आई.यू.डी. (कॉपर - टी) | | | | | |
| 7 | किशोरियों का आंगनबाड़ी में पंजीकरण | | | | | |
| 8 | मलेरिया के रोगी | | | | | |
| 9 | टी.बी. से पीड़ित रोगी | | | | | |
| 10 | बाल विवाह | | | | | |
| 11 | अन्य..... | | | | | |

(पूर्व में तैयार किये गये वीलेज हैल्थ प्लान में कॉलम संख्या 5,6,7 के अनुसार जानकारी भरे। प्लान की क्रियान्विति की समीक्षा ग्राम स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक में की जाए)

प्रत्येक गाँव के लिए संभावित लक्ष्य—

- सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच
 - 3 जांचें
 - 2 टी.टी. के टिके
 - 100/200 आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ
- सभी गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव
- सभी माताओं की प्रसवपश्चात 3 जांचें
- जन्म के तुरन्त बाद स्तनपान एवम् 6 माह तक केवल स्तनपान
- सभी बच्चों का पूर्ण टिकाकरण
- बच्चों के जन्म में अंतर हेतु अंतराल साधनों का वितरण —आई.यू.डी., गर्भनिरोधक गोली, निरोध
- भविष्य में बच्चे न चाहने वाले सभी दम्पतियों के लिए नसबन्दी
- सभी किशोरियों का आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकरण
- गांव मे एक भी बाल विवाह न होने देना
- मलेरिया, मौसमी बीमारीयों तथा टी.बी. की रोकथाम